

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
(महिला एवं बाल विकास)

क्रमांक: एफ11(2)/मो/ Committees of Group of Sec. /icds/2021-22

169076-108

दिनांक

9/9/2022


उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास
समस्त ।

विषय:- आंगनबाडी स्तर पर संचालित स्वयं सहायता समूहों की नियमित पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने के संबंध में ।

प्रसंग:- "Committees of Group of Secretaries " की गांवों के विकास समिति की बैठक दिनांक 13.07.2022 का कार्यवाही विवरण ।

विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित "Committees of Group of Secretaries " की समिति Committee on Village Development की बैठक दिनांक 13.07.2022 में आंगनबाडी केन्द्रों पर संचालित स्वयं सहायता समूहों की नियमित मोनिटरिंग महिला पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं इनके द्वारा किये गये कार्य की निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं ।

अतः जारी निर्देशों के अनुसार जिले में आंगनबाडी केन्द्रों पर संचालित स्वयं सहायता समूहों की नियमित रूप से मोनिटरिंग करने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को पांबंद कर सूचना से निदेशालय को तत्काल अवगत करावें ।


(रामावतार मीणा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ


क्रमांक: एफ11(2)/मो/ Committees of Group of Sec. /icds/2021-22

दिनांक

9/9/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना परीवीक्षण, शासन सचिवालय जयपुर ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त विकास अधिकारी पंचायत समितियों को निर्देश जारी करने बाबत ।
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, ब्लॉक स्तरीय बैठकों में उपरोक्त कार्य के संबंध में चर्चा कर कार्यवाही करने बाबत ।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त


संयुक्त निदेशक(मो.)